भारत सरकार
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4138
गुरुवार, दिनांक 18 जुलाई, 2019 को उत्तर दिए जाने हेतु

नई लघु जल विद्युत परियोजनाएं

4138. श्री एस॰ ज्ञानतिरावियमः क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने चालू वित्त वर्ष के दौरान नई लघु जल विद्युत परियोजनाएं शुरू करने के लिए किसी नए प्रस्ताव को मंजूरी दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितनी नई परियोजनाएं शुरू की गई हैं?

उत्तर
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा तथा विद्युत और कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री आर. के. सिंह)

(क) और (ख): लघु पन बिजली परियोजनाएं राज्य सरकारों द्वारा बनाई गई नीतियों के अनुसार स्थापित की जाती है। विकासकों को साइट आवंटित करने और उन्हें सौंपने में राज्य अपनी प्रक्रियाओं का पालन करते हैं। तदनुसार सभी आवश्यक मंजूरियाँ अर्थात् भूमि अधिग्रहण, वन मंजूरी, सिंचाई मंजूरी इत्यादि राज्य स्तर पर या राज्य सरकारों के माध्यम से प्राप्त की जाती हैं। लघु/मिनी/माइक्रो पन बिजली परियोजनाओं की संस्थापना के लिए इस मंत्रालय की अनापत्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। यह केवल मौजूदा योजना दिशानिर्देशों के अनुसार पात्र परियोजना विकासकों को केन्द्रीय वित्तीय सहायता के रूप में प्रोत्साहन प्रदान करता है।

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए इस मंत्रालय में चौसठ (64) प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार सूची अनुलग्नक-क में दी गई है।

<u>अनुलग्नक-क</u>

‘नई लघु जल विद्युत परियोजनाएं’ के संबंध में पूछे गए दिनांक 18.07.2019 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 4138 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-क

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	नई परियोजनाओं के लिए सब्सिडी का लाभ उठाने हेतु प्राप्त प्रस्तावों की संख्या		
		2016-2017	2017-2018	2018-2019
1	मध्य प्रदेश	1	-	2
2	नागालैंड	-	-	1
3	पंजाब	-	1	-
4	उत्तराखंड	1	2	4
5	पश्चिम बंगाल	1	-	-
6	गुजरात	9	-	-
7	केरल	2	2	-
8	हिमाचल प्रदेश	12	3	1
9	ओडिशा	2	-	-
10	जम्मू और कश्मीर	6	3	-
11	कर्नाटक	3	1	1
12	महाराष्ट्र	3	-	3
	कुल	40	12	12

*****